

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>सोहनलाल बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 144 / 2020</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>16.10.20</p>	<p>अपीलार्थी सोहनलाल पंवार, पता गाव धींगाणा, पोस्ट गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.07.20 में उसके द्वारा (1) भू-अभिलेख निरीक्षक लूणी द्वारा अपने पटवार हलका के पटवार कार्यालयों का निरीक्षण कर आपके कार्यालय को प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट को 01.01.2017 से 30 जून, 2020 तक की समयावधि की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	